

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4365
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
जेनेरिक दवाओं का घरेलू उत्पादन

4365. श्री जी. सेल्वम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में जेनेरिक दवाओं के वर्तमान उत्पादन स्तर का ब्यौरा क्या है;
- (ख) जेनेरिक दवाओं की देश के कुल भेषज बाजार में कितने प्रतिशत भागीदारी है और उनकी सुलभता में सुधार लाने के लिए सरकार की इस प्रतिशतता को किस प्रकार बढ़ाने की योजना है;
- (ग) जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के प्रति समर्पित विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और विकास को सहायता देने के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन अथवा योजनाएं कार्यान्वित हैं?
- (घ) जेनेरिक दवाओं के, विशेषकर दीर्घकालिक रोगों हेतु, बढ़ते प्रयोग से रोगियों को होने वाली अनुमानित बचत के आंकड़े क्या हैं; और
- (ङ) देश में उत्पादित जेनेरिक दवाओं का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है और सरकार इनकी घरेलू मांग और निर्यात के अवसरों में किस प्रकार संतुलन रख रही है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के औषध बाजार का मूल्य 50 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य और निर्यात 26.5 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का है। भारत का औषध उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा औषध उद्योग है और यह उत्पादन के मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है। जेनेरिक औषधियों, बल्क औषधियों, ओवर-द-काउंटर औषधियों, टीकों, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स को कवर करने वाले अत्यंत विविध उत्पाद आधार के साथ भारतीय औषध उद्योग की वैश्विक स्तर पर सशक्त उपस्थिति है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 के अनुसार, उद्योग अर्थात् औषधीय, चिकित्सीय और वनस्पति उत्पादों का कुल आउटपुट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

स्थिर मूल्यों पर 4,56,246 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से मूल्य वर्धन 1,75,583 करोड़ रुपये का है। जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन स्तर पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की है। इस योजना के तहत, ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50%-80% सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र (जेएके) नामक समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। दिनांक 30.11.2024 तक, देश भर में कुल 14,320 जेएके खोले गए हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाइयों और 300 सर्जिकल्स/उपकरणों को उत्पाद टोकरी में शामिल किया गया है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-एलर्जिक, गैस्ट्रो-इन्टेस्टाइनल संबंधी दवाएं, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। यह अनुमान है कि दैनिक आधार पर 10-12 लाख उपभोक्ता देश भर में फैले 14300 से अधिक जन औषधि केंद्रों से दवाओं की खरीद करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, जेएके के माध्यम से 6462 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री की गई है। इससे ब्रांडेड दवाओं पर होने वाले व्यय की तुलना में नागरिकों को अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

साथ ही, भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए औषध क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। औषध के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई है, जिसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और उत्पादन अवधि वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जो तीन श्रेणियों के तहत पहचान किए गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को छह वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, पेटेंट प्राप्त दवाओं, बायोफार्मास्युटिकल्स, बल्क औषधियों, इन विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) उपकरणों और एक्सीपिएंट्स (दवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त) के अलावा, विभिन्न श्रेणियों की जेनेरिक दवाएं जैसे - कॉम्प्लेक्स जेनेरिक, ऑटो इम्यून औषधियों, कैंसर-रोधी दवाओं, मधुमेह-रोधी दवाओं, संक्रमण-रोधी दवाओं, कार्डियोवैस्कुलर दवाओं, साइकोट्रोपिक दवाओं और एंटी-रेट्रोवायरल औषधियों का उत्पादन किया जाता है और योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषध विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है और इसे सौंपी गई शक्तियों के अनुसार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रावधानों को क्रियान्वित और लागू करने का कार्य सौंपा गया है। एनपीपीए को देश में दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने, कमी की पहचान करने, यदि कोई हो, और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपचारात्मक कदम उठाने का कार्य सौंपा गया है।
